मूलवाद सं० 1232/2016
दूधई प्रसाद बनाम पृथ्वीपाल

दिनांक 11–01–2022

पत्रावली पुकार पर पेश। वादी विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादपत्र के अन्त मे दर्शित विवादित भूमि अ,ब,स,द अन्तर्गत आराजी सं० 77 रकबा 0.789 हे० मे 11 डि० के बावत स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने के आशय से लाया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 7 ग नियत है। अमीन रिपोर्ट 18 ग मय नक्शा व नजरी 19 ग व 20 ग दिनांक 10–11–2020 को प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे पुष्ट किया जा चुका है। विगत कई तिथियों से प्रतिवादीगण पत्रावली पर उपस्थित नही आ रहे है। वादी का कहना है कि प्रतिवादीगण विवादित जमीन पर अविधिक रुप से अतिक्रमण के प्रयास मे है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 7 ग पर स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी। बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना पत्र 7 ग का निस्तारण किया जाना समीचीन नही है।

तथापि वादसंपत्ति के संरक्षण एवं विवाद के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु अग्रिम तिथि तक उभयपक्ष को यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि अमीन नक्शा 19 ग मे दर्शित विवादित भू–भाग बरंग लाल पर अग्रिम नियत तिथि तक यथास्थिति कायम रखेंगे। पत्रावली वास्ते आपत्ति /निस्तारण 7 ग दिनांक 03–02–2022 को पेश हों।

सिविल जज (जू०डि०)
बांसगाँव, गोरखपुर